न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

अपील नाम0 प्र0 सं0 1/2013 दायर तारीख 12.04.2013

अनवान्

1. नन्दा पिता काना जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. रामचन्द पिता काना जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
3. भगवान पिता काना जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
4. नन्दु पुत्री काना जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
5. शंकरी पुत्री काना जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
6. भंवरी बेवा काना भील मृतक (वारिसान पूर्व से ही पक्षकारान रिकॉर्ड पर है।)
7. नर्बदा पुत्री चुन्नीलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
8. राजेश पिता चुन्नीलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
9. रूपा बेवा चुन्नीलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

..................अपीलार्थीगण

बनाम

1. नन्दू बेवा काना जाति भील उम्र वयस्क निवासी नयागांव हाल कोर्ट के पीछे बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. नाथु पिता नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सिंधी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमान् तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

..................रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित:– 1. श्री घनश्याम धाकड़ अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार बिजौलियां
नामान्तरकरण संख्या 2158 दिनांक 21.02.2012
एवं नामन्तरणकरण संख्या 2225
दिनांक 21.05.2012

आदेश

दिनांक 13.03.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध रेस्पोन्डेन्टस इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिजौलियां कलां प0 ह0 बिजौलिया कलां के नामान्तरकरण संख्या 2158, 2225 पर पारित आदेश से अपीलान्ट क्षुब्ध होकर पारित आदेश को अपास्त किये जाने की मांग की है। साथ ही निवेदन किया कि तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आ0न0 194 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि पूर्व में काना पिता भवाना भील निवासी बिजौलिया कलां के नाम पर दर्ज रेकार्ड होकर काना पिता भवाना के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। काना ही एक मात्र वारिस है अपीलार्थी संख्या 1 से लगायत 3 काना के पुत्र एवं 4 व 5 पुत्रिया 6 पत्नि तथा काना का एक लड़का चुन्नीलाल फौत हो चुका है नर्बदा राजेश उसके पुत्र पुत्री तथा रूपाबाई उसकी पत्नि है आ0 न0 91 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि काना पिता भवाना भील के नाम दर्ज रेकार्ड थी। काना की मृत्यु दिनांक 20.10.1998 को हो चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

उक्त आराजीयात का इन्तकाल राजस्वं कर्मचारियों द्वारा छानवीन किये बिना ही रेस्पोडेण्ड संख्या 1 नन्दू बेवा काना भील के नाम पर खोल दिया गया जो विधि विरूद्ध है। तथा उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में नन्दू बेवा काना भील का कोई हक अधिकार निहित नही हैं तथा दूर दूर तक उक्त आराजीयात से नन्दू रेस्पाडेण्ट संख्या 1 का कोई वास्ता नही हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 नन्दू द्वारा राजस्व कर्मचारियों को भ्रमित कर नन्दू बेवा काना अर्थात पिता का नाम मिलने की वजह से अपने आपको काना का वारिस बताकर नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया जबकि काना के कुल 4 लड़के 2 लड़किया तथा उसकी पत्नि प्रथम श्रेणी की वारिसान मौजूद होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों से कुसंयोजन कर उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण अकेली नन्दू ने अपने नाम पर खुलवा लिया जबकि नन्दू बेवा काना ने अपनी आराजीयात को पूर्व में ही बेचान कर दिया था एवं इसकी जानकारी नन्दू को होने के बावजूद भी उसने अपने नाम पर उक्त नामान्तरकरण दर्ज करवा कर उक्त आराजीयात को उसी समय रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को बेचान कर दिया। नन्दू बेवा काना रेस्पोडेण्ड संख्या 1 को इस बात की जानकारी हो गयी कि उक्त आराजीयात काना पिता भवाना भील के नाम पर है जो नाम मिलने से इसका नाजायज फायदा उठाकर नन्दू ने उक्त जमीन का नामान्तरकरण अपने नाम पर खोलकर हाथोहाथ जमीन को बेचकर इसका प्रतिफल प्राप्त कर लिया हैं। जो प्रारम्भ से शून्य प्रभावी होकर निरस्त करने योग्य हैं। अपीलार्थीगण ने उक्त खाते की नकल प्राप्त की तब इस बात की जानकारी हुयी कि उनकी हक हिस्से की आराजीयात का नामान्तरकरण नन्दू बेवा काना भील के नाम दर्ज कर दिया गया हैं और इसके बाद नन्दू बेवा काना को उक्त नामान्तरकरण निरस्त कराने को कहा तो वह इन्कार हो गयी इसलिए अपीलार्थीगण के पास अपील पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नही रहा हैं। अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरण संख्या 2158 पर पारित आदेश 21.02.2012 को निरस्त फरमाते हुए नामान्तरण संख्या 2225 दिनांक 21.05.2012 को निरस्त फरमाते हुए आराजी नम्बर 194 रकबा 10 बीधा 7 बिस्वां भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करना फरमावें।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के द्वारा संजीवनी प्रकरण में अन्तिम आदेश प्रदान कर नामान्तरकरण की अपील सक्षम न्यायालय में करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित करने से अपील प्रस्तुत की जो इस न्यायालय में 9/2013 दिनांक 15.03.2013 को पंजीबद्ध की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर करवायी जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस मय नकल अपील मेमो भेज करवाई गयी।

अपील प्र0सं0 9/2013 नामान्तरण संख्या 2158 ग्राम पंचायत बिजौलियां द्वारा दिनांक 21.02.2012 को निर्णित किया है। को भी अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत करने से पंजीबद्ध की गयी। अपील प्रकरण संख्या 9/2013 के तथ्य समान होने से इस प्रकरण को पूर्व में लम्बित अपील संख्या 1/2013 के साथ दिनांक 24.03.2013 को संलग्न की गई।

रेस्पोडेन्ट नं0 1, 2 की ओर से ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य का अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। तथा दिनांक 18.03.2014 को जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट ने जवाब में अपील के तथ्य को इन्कार करते हुए अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने उक्त आराजी नं0 91 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वां भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर नही खुलवाया हैं। रेस्पोडेण्ड नं0 1 ने अपने पति काना पिता भवाना जाति भील निवासी नयागांव के नाम पर मौजा बिजौलियां कलां की आराजी नं0 194 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वां भूमि कब्जे काश्त एवं राजस्वं रेकार्ड में दर्ज थी उनकी मृत्यु उपरान्त पत्नि होने से काना के विधिक वारिस की हैसियत से नामान्तरकरण दर्ज कराया जो विधि संगत एवं कानून से सही एवं सत्य हैं। नन्दू रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पिता का नाम काना नही हैं न ही पिता की वारिस बनकर नामान्तरण खुलवाया हैं न ही रेस्पोडेण्ट नं0 1 ने अपनी उक्त जमीन को पूर्व में किसी अन्य को विक्रय की हैं। रेस्पोडेण्ट नं0 1 दिनांक 24.02.2007 को किसी प्रकार का नामान्तरकरण संख्या 2158 नही खुलवाया हैं। अपीलान्ट को कब खाते की नकल प्राप्त हुई और कब अपील पेश की इस बाबत कोई तथ्य अपील मेमों अंकित नही है इसलिये उक्त अपील मियाद बाहर होने से काबिल खारिज हैं। उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ड नं0 3 तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया हैं इसलिये नामान्तरकरण की अपील इस न्यायालय को सुनने का अधिकार क्षैत्र नहीं हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरण के विरूद्ध अपील श्रीमान् जिला कलक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत होती हैं। रेस्पोडेन्ट ने जवाब में विशेष कथन अंकित किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 स्व. काना पिता भवाना निवासी नयागांव की एक मात्र विधिक वारिस हैं। उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का गिरदावर द्वारा जानकारी कर सही होना पाये जाने से रेस्पोडेण्ट नं0 1 के पक्ष में रेस्पोडेण्ट नं0 3 तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया जो कानूनन सही हैं। उक्त आराजी नं0 194 की कृषि भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय होकर रेस्पोडेण्ट नं0 2 के नाम पर दर्ज और रेस्पोडेण्ट नं0 3 ने उक्त भूमि को दिनांक 04.07.2012 को रामस्वरूप पिता मांगीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बड़ोदिया तहसील बिजौलियां को विक्रय कर दी हैं। उक्त आराजी नं0 194 रकबा 10 बीघा 07 भूमि पर रामस्वरूप पिता मांगीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बड़ोदिया के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। उक्त क्रेता को पक्षकार नही बनाया जो कि आवश्यक पक्षकार अपील हैं। अपील अन्दर अवधि एक माह प्रस्तुत नही होने से मियाद बाहर होने से चलने योग्य नही होकर काबिल खारिज के हैं। मियाद के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं। उक्त प्रकृति का मामला सुनने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त हैं न कि राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार हैं क्योंकि उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय हो चुकी हैं। एवं आज भी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रभावशील हैं। अपील अपीलान्ट सव्यय खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत करते समय टाईपिस्ट की गलती एवं सेवन से कलम संख्या 4 में आ0नं0 194 की जगह 91 अंकित हो गया जिसे संशोधित कर आ0न0 194 अंकित किया जाना न्याय संगत हैं। साथ ही काना की मृत्यु दिनांक इसी कलम में 20.10.1998 अंकित हो गयी जो सही दिनांक 20.10.1997 है जिसे रेकार्ड में संशोधित कर दिनांक 20.10.1997 अंकित किया जाना न्याय संगत हैं। इसी प्रकार से राजस्व कर्मचारियों ने मिली भगत करके दिनांक 21.02.2007 नामान्तरकरण संख्या को अपने नाम पर करवाने का विवरण दिया गया हैं। उक्त दिनांक 21.02.2007 नही होकर 21.02.2012 है जिसे संशोधित दिनांक 21.02.2012 किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार फरमायी जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में आदेश 6 नियम 17 के जवाब में अंकित तथ्यों को अस्वीकारते हुये अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस प्रकार से अपील में संशोधन करवा आ.न. व काना की मृत्यु की दिनांक को बदलवाना चाह रहे हैं। वह इस स्टेज पर संशोधित नही किये जा सकते हैं। रेस्पोडेन्ट ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह बचाव लिया है कि अपील में वर्णित ख.नं. वाबत रेस्पोडेन्टस के पक्ष में कोई नामान्तरकरण नही खुलवाया हैं। यदि संशोधित किया जाता हैं तो रेस्पोडेन्टस का अपील जवाब में लिया गया बचाव ही समाप्त हो जायेगा। ऐसे किसी संशोधन की अनुमति नही दी जा सकती हैं। जिसमें बचाव का आधार ही समाप्त होता हैं चूंकि अपील ही जब बनायी गयी तब अपीलार्थी के पास राजस्व रेकार्ड मौजूद था। अपील में जो तथ्य लिखे गये उसे वैसे ही रखा जाना चाहिए। न तो ख.नं. को बदला जा सकता हैं। और न ही काना की मृत्यु की दिनांक को बदला जा सकता हैं। संशोधन स्वीकार करने से अपील के सारे तथ्य ही बदल जायेगे। अपील में उक्त धारा लागू नही होती हैं। रेस्पोडेन्टस ने अपने अपील जवाब में यह आपत्ति की हैं कि दिनांक 21.02.2007 को कोई नामान्तरकरण ही नही खोला गया हैं। दिनांक 21.02.2007 की जगह दिनांक 21.02.2012 किये जाने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स का लिया गया बचाव ही समाप्त हो जायेगा। रेस्पोडेन्ट्स ने दिनांक 18.03.2014 को अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था। जिस आधार पर अपीलान्ट संशोधन चाहते हैं। उसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही हैं। चूंकि तहसीलदार महोदय द्वारा खोले गये नामान्तरकरण को न्यायालय द्वारा खारिज नही किया जा सकता हैं तो संशोधन भी स्वीकार नही किया जा सकता हैं भूराजस्व अधिनियम के धारा 75 तहत तहसीलदार खोले गये नामान्तरकरण की अपील को सुनने का अधिकार कलक्टर महोदय को हैं। इस न्यायालय को नही हैं। इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 एवं जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

लगातार पेज संख्या 04 पर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलार्थी ने अपील मेमो के साथ सूची मय दस्तावेज प्रस्तुत किये। जो निम्नानुसार हैं।

1. नकल चालू जमाबन्दी ग्राम बिजौलियां कलां सम्वत् 2067 से 2070
2. नकल चालू जमाबन्दी ग्राम बिजौलियां कलां सम्वत् 2063 से 2066
3. नकल ग्राम बिजौलियां का नामान्तरकरण
4. फोटो स्टेट मृत्यु प्रमाण पत्र
5. ग्राम बिजौलियां का नामान्तरकरण
6. नकल फोटो स्टेट वारिश प्रमाण पत्र
7. नकल फोटो कॉफी रजिस्ट्री
8. फोटो स्टेट रजिस्ट्री
9. फोटो पहचान पत्र

वकील रेस्पोडेन्ट ने भी दस्तावेज सूची मय दस्तावेज के प्रस्तुत किये।

1. फोटो प्रति पटवारी हल्का बिजौलियां की वारिसान सूची प्रस्तुत की।

रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 74, 75 व 76 एलआरएक्ट 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील के पैरा संख्या 4 में अपीलार्थीगण ने काना पुत्र भवाना भील की मृत्यु वर्ष 1998 में होना दर्शाया गया हैं। अपील में यह भी आरोप रहा हैं कि काना भील की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट 1 के नाम पर जरिये नामान्तरण 2158 दिनांक 21.02.2012 को रेस्पोडेन्ट नं. 3 तहसीलदार बिजौलियां ने काना पुत्र भवाना भील की खातेदारी भूमि का खोल दिया गंया अर्थात काना पुत्र भवाना भील की मृत्यु के 14 वर्ष पश्चात यह नामान्तरण खोला गया एवं 10 माह बाद यह अपील पेश की गई हैं। वर्ष 1998 में काना पुत्र भवाना भील की मृत्यु हो जाने के बाद भी अपीलार्थीगण ने अपने नाम पर नामान्तरण खुलवाने हेतु कोई भी आवेदन पत्र किसी भी सक्षम अधिकारी के यहां पेश नही किया हैं इससे स्पष्ट हैं कि अपीलार्थीगण का उपरोक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है। नन्दू रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पति काना पुत्र भवाना भील से कोई सम्बन्ध नही था। जिस काना पुत्र भवाना भील के पति काना पुत्र भवाना भील से कोई सम्बन्ध नही था। जिस काना पुत्र भवाना भील के को अपीलार्थीगण अपना पिता बता रहे हैं उसको रेस्पोडेन्ट नं. 1 नन्दू विधवा काना भील के पति काना पुत्र भवाना भील से कोई सम्बन्ध नही था। अपीलार्थीगण को नामान्तरण संख्या 2158 को निरस्त कराने के लिये अपील लाने का कोई लोकल स्टेण्डी नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.03.2012 को नाथू पुत्र नन्दा मीणा को एवं जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2012 से नाथू पुत्र नन्दा मीणा ने अपनी खरीदसुदा उपरोक्त भूमि को रामस्वरूप पिता मांगीलाल मीणा निवासी बड़ोदिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी हैं। इस प्रकार भूमि के विक्रय दर विक्रय होकर रामस्वरूप मीणा के नाम पर रजिस्ट्री होने से एवं उसको पक्षकार नही बनाने से अपील सारहीन हो गई हैं। अपीलार्थीगण ने उपरोक्त अपील के साथ कोई धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है चुंकि अपील मियाद बाहर हैं इसलिये अपील अवधि पार हो जाने व मियाद क्षमा करने का प्रार्थना पत्र संलग्न नही होने से अपील पोषणीय नही हैं। मियाद के बिन्दु के आधार पर अपील काबिल खारिज योग्य हैं। अपीलार्थीगण ने अपने अपील टाईटल में नामान्तरकरण संख्या की दिनांक 21.02.2012 बताई हैं जबकि पैरा संख्या 6 में नामान्तरकरण खोलने की दिनांक 21.02.2007 बताई हैं। इसलिये विरोधाभाषी तथ्य अपील मेमो भ्रमित करने वाले होने से अपील पोषणीय नही रही हैं। रेस्पोडेन्ट नं. ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया हैं। उपरोक्त भूमि बाबत् काना भील की मृत्यु के पश्चात तीन नामान्तरकरण खुल चुके है। जब तक सभी की अपील नहीं की जाती हैं केवल एक अपील पोषणीय नहीं हैं। भू राजस्व अधिनियम में दो अलग अलग आदेश की एक ही अपील करना कानून में वर्जित हैं। नामान्तरकरण संख्या 2158 व 2225 की संयुक्त अपील की गई हैं जो कानूनन पोषणीय नही हैं। उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर दी है जब तक सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नही किया जाता है उपरोक्त अपील को श्रीमान् को सुनने का अधिकार नही हैं। उपरोक्त मामला सिविल प्रकृति का होकर सिविल न्यायालय को ही सुनने का क्षेत्राधिकार हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 05 पर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से उठायी गयी आपतियों के आधार पर अपील खारिज फरमायी जावें प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अपीलान्ट को दिलवायी गयी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 74, 75, 76 एलआर एक्ट प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न कर बहस एक साथ सुनी गई हैं।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों का विस्तार में जिक्र किया तथा निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि काना पिता भवाना भील के नाम दर्ज हो काश्त में चलती आ रही है। काना पिता भवाना भील फोत हो चुका हैं। तहसीलदार के कार्मिकों ने नामन्तरकरण रेस्पोडेन्ट 1 नन्दू बेवा काना भील के नाम खोल दिया जो विधि विरूद्ध हैं। तहसीलदार ने भी संजीवनी प्रार्थना पत्र के प्रत्युतर जरिये पत्रांक 720 दिनांक 13.09.2012 से जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के निर्देशानुसार तहसीलदार ने भी नामान्तरकरण संख्या 2158 ग्राम पंचायत बिजौलिया कला द्वारा 21.02.2012 को स्वीकृत किया जिसके विरूद्ध अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की । प्रस्तुत अपील व संलग्न अपील के तथ्य समान होने से दिनांक 24.09.2013 को अपील नामान्तरण प्रकरण संख्या 09/2013 को अपील संख्या 1/2013 के साथ संलग्न कर सुनवायी एक साथ की जा रही है। जिस व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण खोला है। फर्जी होने से थाना बिजौलिया में भी प्राथमिकी अन्तर्गत धारा 468, 465, 471, 420 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज करवायी हैं। न्यायालय में मुलजिमान के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया जाकर मुलजिमान को जमानत पर छोड़ा गया हैं। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस रूलिंग्स आरएल डब्ल्यू 2013 (2) पेज संख्या 1128, आरएल डब्ल्यू 2016 (2) पेज संख्या 995, आरआरटी 2004 (1) पेज संख्या 222, आरएल डब्ल्यू 2016 (2) पेज संख्या 1268, आरएल डब्ल्यू 2011 (2) पेज संख्या 1127, आरएल डब्ल्यू 2015 (1) पेज संख्या 153, आरएल डब्ल्यू 2014 (2) पेज संख्या 840, आरएल डब्ल्यू 2012 (1) पेज संख्या 584, आरआरटी 2002 (1) पेज संख्या 257, आरआरटी 2002 (1) पेज संख्या 269, आरआरडी 2015 (1) पेज संख्या 119, आरआरटी 2013 (1) पेज संख्या 383, आरआरटी 2001 (2) पेज संख्या 1236, आरआरटी 2001 (2) पेज संख्या 1109, आरआरटी 2006–07 पेज संख्या 371 प्रस्तुत की हैं। रूलिंगों के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया कि गलत खोले गये नामान्तरकरणों में मियाद का बिन्दू बाधक नहीं होता हैं। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण पर पारित आदेश खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान जवाब में एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 74, 75, 76 में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया। तथा निवेदन किया कि अपील मेमों की हेडिंग में नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा निर्णित किया जाना अंकित किया हैं। जिसका सुनवाई क्षैत्र इस न्यायालय को नहीं हैं। अपीलान्ट ने अपील मेमों के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया हैं। दो भिन्न– भिन्न नामान्तरकरणों की अपील एक साथ एक अपील मेमों में नही हो सकती। पृथक– पृथक नामान्तरकरणों के लिए पृथक– पृथक अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अपील मेमों अपीलान्ट ने कही आराजी नम्बर 91 अंकित किया हैं कही आ0 न0 194 अंकित किया गया हैं वकील अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 न्यायालय श्रीमान द्वारा अस्वीकार किया गया हैं। नामान्तरकरण विधि अनुसार मृतक के वारिसान के नाम मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर खोला जाकर निर्णित हुआ हैं। सही हैं। नामान्तरकरण निर्णित होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट ने विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि विक्रय दर विक्रय की हैं। अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को अपास्त करने के लिए कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया हैं। नामान्तरकरण विधि अनुसार खोला गया हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान आरआरडी 1993 पेज संख्या 45 व आरआरडी 1994 पेज संख्या 85 उदगृत की हैं। प्रस्तुत अपील अपीलान्ट सव्यय खारिज फरमायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

1. श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा पत्रांक संजीवनी प्रकरण संख्या 2150/2012 दिनांक 05.10.2012 से तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि नामान्तरकरण की अपील तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जावे जिस पर तहसीलदार ने धारा 75 एलआर एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत की जिसे पंजीबद्ध किया जाकर बाद सुनवाई प्रकरण संख्या 1/2013 समान प्रकृति का होने से संलग्न की गयी।

लगातार पेज संख्या 06 पर

Scanned by CamScanner

की नामान्तरकरण की अपीले ना.मा.सं. 2158, 2225 की अपील एक साथ सुनवाई की गई।

नामान्तरकरण 2158 विरासत का है। जो ग्राम पंचायत बिजौलियां के सरपंच चान्दमल जैन 21.02.2012 को निर्णित किया गया है न कि तहसीलदार द्वारा। अपील मेमों में गलत तथ्य अंकित किये हैं।

नामान्तरकरण पंचायत द्वारा निर्णित किया गया हैं जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षैत्र में हैं।

4. नामान्तरण संख्या 2225 भी पंचायत द्वारा निर्णित किया हैं। श्रवणाधिकार क्षैत्र में हैं। अपील मेमों में गलत हेडिंग दिया गया हैं।

(तहसीलदार के पत्रांक 720 दिनांक 13.09.2012 जो जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित किया हैं।) पत्र में अंकित किया गया हैं कि ग्राम नयागांव में एक ही नाम के दो व्यक्ति काना पिता भवाना भील थें। जिनके गोत्र अलग–अलग हैं। एक काना का गोत्र काछी हैं जिसके वारिस नन्दा, चुन्नीलाल, रामचन्द्र, भगवानलाल तथा लड़की नन्दू व शंकरी तथा बेवा भवंरी मौजूद हैं। दूसरे काना का गोत्र कवास्या हैं। जिसके वारिस एक मात्र बेवा नन्दू भील हैं। बिजौलियां में निवास करती हैं। पूर्व में 27 साल पहले भूमि बेचना जाहिर आया विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की हैं रतनलाल काना पिता भवाना भील आराजी नम्बर 1519/117 रकबा 10–08 बीघा भूमि वर्ष 1978 में विक्रय कर दी हैं। कजोड़ पिता देवी भील को बेची हैं। नन्दू के नाम नामान्तरण खुलते ही आराजी नम्बर 194 रकबा 10–07 बीघा को दिनांक 30.03.2012 को नाथु पिता नन्दा भील को विक्रय कर दी हैं। नाथु पिता नन्दा ने दिनांक 04.07.2012 को रामस्वरूप पिता मांगीलाल मीणा बड़ोदिया को विक्रय कर दी हैं।

दोनों नामान्तरकरणों की अपीले अलग– अलग है नामान्तरकरण 2158 की अपील तहसीलदार द्वारा 15.03.2013 को दायर कराई गई हैं। जो अपील 9/2013 पंजीबद्ध की गयी है। वह तथा अपील 1/2013 दोनों एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्ध होने से संलग्न कर सुनवाई एक साथ की गई हैं। वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान लिमिटेशन प्रार्थना पत्र नही होने से मियाद के बिन्दू पर अपास्त किये जाने की मांग की हैं। राजस्व मण्डल व उच्चन्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में अंकित रूलिंगों से स्पष्ट हैं कि विधि अनुरूप (ab nusic void) मामले में मियाद का बिन्दू बाधक नही हैं।

अपील मेमों के हेडिंग में नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा किया जाना अंकित किया है जबकि पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण के अवलोकन से सरपंच ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पारीत किया गया हैं। जिसका सुनवाई क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को हैं। नामान्तरकरण संख्या 2225 हैं। भूमि विक्रय की गई है अवैधानिक हैं चूंकि प्रथम नामन्तरण संख्या 2158 ही गलत खोला गया गया है तो दुसरा नामान्तरकरण 2225 स्वतः ही निरस्त योग्य हैं। तत्पश्चात् किये गये विक्रय पत्रों में भी भूमि वादग्रस्त ही होने से पक्षकार वनाया जाना आवश्यक था। किन्तु मूल नामान्तरण ही काना पिता भवाना भी (काछी गौत्र) का हैं। जो मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। के नाम नामान्तरकरण नही खोला जाकर काना जिसकी गौत्र कवासिया हैं के वारिस नन्दू के नाम नामान्तरकरण खोला गया हैं। नामान्तरकरण निर्णित करते वक्त दोनों व्यक्तियों के वारीसान की परिपूर्ण जांच कर नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था। पंचायत द्वारा इस प्रकार ग्राम बिजौलियां के नामान्तरकरण संख्या 2158 दिनांक 21.02.2012 काना पिता भवाना भील नयागांव के फोत होनेपर विरासत से नन्दू बेवा काना भील नयागांव के नाम मृत्यु वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर खोला गया हैं। जो प्राथमिक तौर पर ही गलत खोला गया हैं। इसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा को प्रेषित की गयी हैं। जांच रिपोर्ट क्रमांक 720 दिनांक 13.09.2012 फोटो प्रति संलग्न हैं। गलत विरासत से खोले गये नामान्तरकरण के सम्बन्ध में थानाधिकारी बिजौलियां द्वारा दर्ज प्राथमिकी में मामला अपराध धारा 467, 468, 471, 420 भा.द.स. में पाया जाने से मुकदमा संख्या 188/2012 कायम कर अनुसंधान किया गया था। जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के पत्रांक/सर्तकता/संजीवनी/ प्रकरण संख्या 2150/2012 दिनांक 05.12.2012 में नामान्तरकरण की नियमानुसार अपील करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाने से अपील तैयार कर दिनांक 12.11.2012 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। जिसके प्रकरण संख्या 9/2013 कायम हुये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

उक्तानुसार थाना बिजौलियां द्वारा प्राथमिकी दर्ज के सम्बन्ध में नन्दा भील के बयान लिये हैं। बयान में लिखाया कि हमारी जमीन हमारे कब्जे में ही चली आ रही हैं। हमने हमारी जमीन के चारों तरफ पत्थरों का कोट कर रखा है। आज से करीब 2 महिने पहले मुझे जानकारी हुई की हमारी जमीन 10 बीघा 7 बिस्वां बिक गई है। इस पर मैने दिनांक 31.07.2012 को थड़ौदा पंचायत से मेरे पिता जी खाना पिता भवाना भील निवासी नयागांव का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा, तब मुझे जानकारी हुई की खाना पिता भवाना भील निवासी बडा नयागांव की जमीन बिक गई है तो मैने सोचा की हमारे गांव के खाना पिता भवाना भील वाली जमीन को काफी वर्षों पहले ही बैच दी है तथा मेरे पिता खाना पिता भवाना भील की जमीन को हतने नही बैची तो मैने हमारी जमीन की नकल मैने व मेरे भाई भगवान ने निकलाई तो हमारी जमीन

लगातार पेज संख्या 07 पर

Scanned by CamScanner

संख्या 194 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वां की नकल नाथु पिता नन्दा मीणा निवासी तिखी थाना लियां के नाम की नकल मिली जब हमने जानकारी की तो पता चला की हमारी जमीन को हमारे व के खाना पिता भवाना भील की पत्नि नन्दू बाई ने हमारे पिताजी खाना पिता भवाना भील का नाम पिता का नाम व जाति एक मिलने से फर्जी तरीके से वारीस प्रमाण पत्र बनवा कर फर्जी तरीके से जमीन का इन्तकाल खुलवा कर हमारी जमीन को नाथु पिता नन्दा मीणा निवासी तिखी को बैच कर अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया हैं तथा मैने यह भी सुना की नाथु पिता नन्दा मीणा निवासी तिखी से भी उक्त हमारी जमीन को बडौदिया के रामस्वरूप पिता मांगीलाल भीणा को बैचान कर दिया है। उसके बाद मैने तहसील बिजौलियां में जाकर तकाजा किया व बडौदियां के मीणा के नाम की रजिस्ट्री के इन्तकाल को रूकवा दिया है। फिर मैने वकील साहब से मिलकर नामान्तरण खारीज करवाने का प्रार्थना पत्र कलक्टर साहब भीलवाड़ा के निर्देशानुसार प्रकरण दायर किया हैं।

साथ ही गलत नामान्तरकरण से पश्चातवर्ती विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण स्वतः निरस्त योग्य होने से नामन्तरणकरण संख्या 2225 पर पारित आदेश दिनांक 21.05.2012 निरस्त किया जाता हैं। हालाकि विक्रय पत्रों को निरस्त करने के लिए यह कार्यालय सक्षम नही हैं। किन्तु नामान्तरकरण प्रारंम्भिक तौर पर ही शून्य प्रभावी होने से नामान्तरकरण पर पारित आदेश अपास्त योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र किस दिनांक का है अपील मेमो में तारीख अलग अंकित की गई हैं। मियाद के बिन्दू का प्रार्थना पत्र संलग्न नही होने व दो नामन्तरकरण की एक ही अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपील अलग–अलग होनी चाहिए। हम इन तथ्यों से सहमत हैं। किन्तु प्रस्तुत विरासत का नामान्तरकरण मूल मे गलत तथ्यों के आधार पर खोले जाने से रेस्पाडेन्ट द्वारा नाजायज फायदा उठा भूमि विक्रय पत्रों से विक्रय कर दी गई हैं। गलत नामान्तरकरणों से रेस्पाडेन्ट लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। थानाधिकारी बिजौलियां ने जांच/अनुसंधान में पाया कि शरहद बिजौलियां में प्रकरण प्रार्थी के पिता के नाम पर आराजी संख्या 194 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वां आराजी स्थित है तथा आरोपी श्रीमति नन्दु बैवा खाना भील के पति खाना पिता भवाना भील निवासी नयागांव के नाम पर भी आराजी संख्यां 1519/197 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वां आराजी स्थित हैं। आरोपी श्रीमति नन्दु भील का पति एवं प्रकरण प्रार्थी का पिता जिनका नाम एक समान है दोनों की मृत्यु हो चुकी है। आरोपी श्रीमति नन्दु भील के पति खाना पिता भवाना भील निवासी नयागांव ने अपने नाम की आराजी संख्या 1519/197 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वां को कजोड़ पिता देबीलाल मीणा निवासी जावदा को बैचान कर दी थी। प्रकरण प्रार्थी के पिताजी का नाम श्री खाना पिता भवाना भील निवासी नयागांव एव आरोपी श्रीमति नन्दु भील के पति जिसका नाम भी खाना पिता भवाना भील निवासी नयागांव एक जैसा मिलने से अभियुक्त श्रीमति नन्दु बैवा खाना भील निवासी नयागांव हाल कोर्ट के पीछे पानी की टंकी के पास बिजौलियां ने प्रार्थी के पिता के नाम की आराजी संख्या 194 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वां आराजी जो शरहद बिजौलियां में नालवा के ढावे नामक स्थान पर स्थित है का फर्जी तरीके से अपने पति का वारीस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बिजौलियां से अपने नाम का तैयार करवाकर तहसीलदार साहब के नाम आवेदन कर उक्त आराजी का अपने नाम इन्तकाल खुलवा कर आराजी को नाथु पिता नन्दा मीणा निवासी तिखी तहसील बिजौलियां को जरिये रजिस्ट्री के विक्रय कर अनुचित लाभ प्राप्त करना अपराध धारा 468, 465, 471, 420 भादस का अपराध प्रमाणित पाया जाने से तलब कर बाद तफतीश गिरफ्तार किया जाकर पेश अदालत किया गया।

गलत विरासत के नामान्तरकरण के आधार पर भूमि दर्ज हो जाने से रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि का विक्रय किया गया हैं जो अवैधानिक श्रेणी में आने से अपीलान्ट विक्रय पत्रों को न्यायालय में चुनोती देने हेतु स्वतंत्र हैं।

थानाधिकारी बिजौलियां के अनुसंधान एवं जिला कलक्टर महोदय के उक्त प्रतिवेदन में तहसीलदार द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट पत्रांक 720 दिनांक 13.09.2012 से स्पष्ट हैं कि प्रथमतः विरासत का नामान्तरकरण गलत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर विरासत से खोले गये नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उक्तानुसार दोनों नामान्तरकरण निरस्त किये जाते हैं। पुनः अपीलान्ट के नाम ग्राम बिजौलियां कलां आ0न0 194 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वां भूमि अपीलान्ट के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 13.03.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner